

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली
(सर्व शिक्षा अभियान)

प्रेषक :

पत्रांक 960/

संग्राम सिंह
जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
(प्रा0शि0 एवं सर्व शिक्षा अभियान), वैशाली

सेवा में,

अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबंधक
नोबेल क्रियेटिव एकेडमी, हाजीपुर

हाजीपुर, दिनांक 22/6/19

विषय: बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम-2009 की धारा-18 के प्रायोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के अन्तर्गत विद्यालय को प्रदत्त प्रस्वीकृति की अवधि विस्तार के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन-पत्र के आलोक में किये गये प्रक्रिया के उपरान्त आपके विद्यालय नोबेल क्रियेटिव एकेडमी, हाजीपुर को कक्षा प्रथम से अष्टम तक संचालन हेतु तीन वर्षों अर्थात् अप्रैल 2018 से मार्च 2021 तक की अवधि के लिए आवंटित औपबंधिक प्रस्वीकृति संख्या-RTE-VSL-0078/2015 का अवधि विस्तार किया जाता है। प्रदत्त प्रस्वीकृति, शिक्षा के अधिकार अधिनियम-2009 के धारा-18 के अन्तर्गत प्रपत्र-2 में वर्णित शर्तों के अनुपालन के अधीन है।

आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृति संख्या- RTE-VSL-0078/2015 है। कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में इस कोड को कृपया अंकित एवं उद्धृत किया जाय।

विश्वासभाजन

(संग्राम सिंह)

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
(सर्व शिक्षा अभियान), वैशाली

ज्ञापांक 960/हाजीपुर, दिनांक 22/6/19

प्रतिलिपि:

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (योजना एवं लेखा), वैशाली एवं प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, हाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, हाजीपुर को निदेश दिया जाता है कि संबंधित विद्यालय को विभाग द्वारा औपबंधिक प्रस्वीकृति दी गई है, जिनका विद्यालय स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र मान्य है तथा जिनका प्रतिहस्ताक्षरण आपके द्वारा अभिलेखों के मिलान उपरान्त किया जाना है।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
सर्व शिक्षा अभियान वैशाली